

डिस्कलेमर

आदेश संख्या 11/2021-22 के मुख पृष्ठ, निर्णयों का सार और आदेश संबंधी अध्यायों का हिंदी अनुवाद संलग्न है। इस हिंदी पाठ के अंतर्गत दी गई किसी भी व्याख्या या अर्थ के संदर्भ में कोई भी भ्रान्ति या संदेह होने पर कृपया अंग्रेजी पाठ को ही प्रामाणिक माना जाए।



भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण

कैंपेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, बंगलौर (बीएलआर) में तृतीय नियंत्रण अवधि (01.04.2021-31.03.2026) के लिए वैमानिक टैरिफ निर्धारित करने के मामले में

जारी करने की तारीख : 28 अगस्त, 2021

ऐरा भवन,
प्रशासनिक कॉम्पलेक्स
सफदरजंग हवाईअड्डा
नई दिल्ली - 110 003

15 प्राधिकरण के निर्णयों का सार

तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारण संबंधी संगत अध्ययनों से संबंधित प्राधिकरण के निर्णयों का सार नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:

अध्याय 2 पूर्व नियंत्रण अवधि की समीक्षा

प्राधिकरण के समक्ष उपलब्ध तात्विक सामग्री और इसके विश्लेषण के आधार पर प्राधिकरण ने पूर्व नियंत्रण अवधि के संबंध में निम्नानुसार निर्णय लिया है :

- 2.5.1 हवाईअड्डा चालू होने की तारीख (24 मई, 2008) से प्रथम नियंत्रण अवधि शुरू होने (31 मार्च, 2011) तक की पूर्व नियंत्रण अवधि को मानना
- 2.5.2 पूर्व नियंत्रण अवधि की कम/अधिक वसूली का परिकलन करते समय तालिका 4 में प्रस्तावित परिवर्तन करना।
- 2.5.3 पूर्व नियंत्रण अवधि से तृतीय नियंत्रण अवधि तक के लिए तालिका 5 में परिकलित कम/अधिक राशि की वसूली को अग्रेनित करना।

अध्याय 3 द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए टूअप

प्राधिकरण ने अपने समक्ष उपलब्ध तात्विक सामग्री और इसके विश्लेषण के आधार पर द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए टूअप के संबंध में निम्नलिखित निर्णय लिए हैं:

- 3.13.1 द्वितीय नियंत्रण अवधि के टूअप के लिए तालिका 18 के अनुसार वैमानिक आरएबी को मानना
- 3.13.2 द्वितीय नियंत्रण अवधि के टूअप के लिए तालिका 31 के अनुसार मूल्यहास को मानना।
- 3.13.3 द्वितीय नियंत्रण अवधि के टूअप के लिए तालिका 26 के अनुसार डब्ल्यूएसीसी को मानना ।
- 3.13.4 द्वितीय नियंत्रण अवधि के टूअप के लिए तालिका 40 के अनुसार वैमानिक प्रचालन व्यय को मानना।
- 3.13.5 द्वितीय नियंत्रण अवधि के टूअप के लिए तालिका 44 के अनुसार वैमानिक कराधान को मानना
- 3.13.6 द्वितीय नियंत्रण अवधि के टूअप के लिए तालिका 49 के अनुसार गैर-वैमानिक राजस्व को मानना।
- 3.13.7 द्वितीय नियंत्रण अवधि के टूअप के लिए तालिका 52 के अनुसार वैमानिक राजस्व को मानना।
- 3.13.8 द्वितीय नियंत्रण अवधि के टूअप के लिए तालिका 53 के अनुसार प्रथम नियंत्रण अवधि टूअप में समायोजन को मानना।
- 3.13.9 31 मार्च, 2022 को 974.14 करोड़ रूपए की द्वितीय नियंत्रण अवधि की अधिक वसूल की गई राशि को (पूर्व नियंत्रण अवधि की कम राशि को छोड़कर) तालिका 57 के अनुसार तृतीय नियंत्रण अवधि में अग्रेनित करना ।

अध्याय 4 तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए यातायात पूर्वानुमान

प्राधिकरण ने अपने समक्ष उपलब्ध तात्विक सामग्री और इसके विश्लेषण के आधार पर तृतीय नियंत्रण अवधि के यातायात पूर्वानुमानों के संबंध में निम्नलिखित निर्णय लिए हैं :

- 4.6.1 तालिका 66 के अनुसार क्रमशः यात्री यातायात, एटीएम यातायात और कार्गो यातायात को मानना जिसे वास्तविक आंकड़ों के आधार पर टूअप किया जाएगा।
- 4.6.2 तालिका 67 के अनुसार तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए मार्गस्थ यात्रियों के शेयर को मानना ।

अध्याय 5 तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए विनियामक परिसंपत्ति आधार (आरएबी) और मूल्यहास

प्राधिकरण ने अपने समक्ष उपलब्ध तात्विक सामग्री और इसके विश्लेषण के आधार पर तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए विनियमित परिसंपत्ति आधार और मूल्यहास के संबंध में निम्नलिखित निर्णय लिए हैं :

- 5.6.1 यदि कोई भी विशिष्ट पूंजीगत परियोजना टर्मिनल 2 सहित टैरिफ आदेश में दिए गए अनुमोदन के अनुसार पूंजीकरण की नियत तिथि के अनुसार पूरी /पूँजीकृत नहीं की जाती है तो परियोजना लागत की 1% राशि एएआर से घटाना (समायोजित करना) (देखें पैरा 5.5.6)
- 5.6.2 द्वितीय नियंत्रण अवधि की आस्थागित परियोजनाओं के लिए 62.39 करोड़ रूपए के पूर्व प्रचालन खर्च को तृतीय नियंत्रण अवधि के आरएबी में इस प्रकार शामिल करना कि द्वितीय नियंत्रण अवधि की परियोजनाओं के लिए कुल पूर्व प्रचालन खर्च 156 करोड़ रूपए तक सीमित हो। वहन की गई वास्तविक लागत की समीक्षा और इसके औचित्य के आधार पर परियोजनाओं को चालू करने के बाद द्वितीय नियंत्रण अवधि से तृतीय नियंत्रण अवधि में आस्थागित पूंजीगत व्यय परियोजनाओं के पूर्व प्रचालन खर्च को टूटअप करना।
- 5.6.3 तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए समूह 'ख' परियोजनाओं की कुल परियोजना लागत की 2% राशि को पूर्व-प्रचालन खर्च मानना। परंतु यह कुल प्रचालन खर्च की समीक्षा और समग्र उपयुक्त कार्य के बीच इसके विभाजन के आधार पर टूटअप करने की शर्त पर है (देखें पैरा 5.5.36)।
- 5.6.4 तृतीय नियंत्रण अवधि की परियोजना लागत की 3% राशि को आकस्मिकता लागत मानना (देखें पैरा 5.2.73)।
- 5.6.5 तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए तालिका 99 और तालिका 100 में दिए गए क्रमशः कुल परिसंपत्ति परिवर्द्धन और वैमानिक परिसंपत्ति परिवर्द्धन को मानना।
- 5.6.6 अगली नियंत्रण अवधि में शुरू किए गए वास्तविक परिसंपत्ति परिवर्द्धन के आधार पर और इसके औचित्य की शर्त पर तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए कुल परिसंपत्ति परिवर्द्धन, परिसंपत्ति आबंटन और वैमानिक परिसंपत्ति परिवर्द्धन को टूटअप करना।
- 5.6.7 तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए तालिका 101 में दिए गए मूल्यहास हो मानना।
- 5.6.8 तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए तालिका 102 में दिए गए वैमानिक आरएबी को मानना

अध्याय 6 तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए पूंजी की भारित औसत लागत (डब्ल्यूएसीसी)

प्राधिकरण ने अपने समक्ष उपलब्ध तात्विक सामग्री और इसके विश्लेषण के आधार पर तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए डब्ल्यूएसीसी के संबंध में निम्नलिखित निर्णय लिए हैं :

- 6.6.1 स्वतंत्र अध्ययन के निष्कर्ष के अनुसार 15.05% ईक्विटी की लागत को मानना।
- 6.6.2 स्वतंत्र अध्ययन द्वारा सुझाव दिए अनुसार 48%:52% के ईक्विटी के ठीक (गियरिंग) अनुपात के कल्पित ऋण को मानना।
- 6.6.3 तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए 7.85% राशि को ऋण की लागत मानना।
- 6.6.4 वास्तविक राशियों के औचित्य और कार्य क्षमता की शर्त पर वास्तविक राशियों के आधार पर तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए बीआईएएल के ऋण की लागत को टूटअप करना
- 6.6.5 ईक्विटी की ऊपर उल्लिखित लागत, ऋण की लागत के आधार पर और स्वतंत्र अध्ययन द्वारा सुझाव दिए अनुसार कल्पित ठीक (गियरिंग) अनुपात को मानकर तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए 11.59% के डब्ल्यूएसीसी को मानना।

अध्याय 7 तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए प्रचालन खर्च

प्राधिकरण ने अपने समक्ष उपलब्ध तात्विक सामग्री और इसके विश्लेषण के आधार पर तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए प्रचालन खर्च के संबंध में निम्नलिखित निर्णय लिए हैं :

- 7.6.1 तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए उपयुक्त तालिका 151 में निर्धारित किए अनुसार आबंटन अनुपात को मानना।
- 7.6.2 तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए तालिका 152 में निर्धारित किए अनुसार वैमानिक प्रचालन व्यय को मानना।
- 7.6.3 अगली नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय वास्तविक आंकड़ों के आधार पर वर्तमान नियंत्रण अवधि के लिए प्रचालन व्यय को टूटअप करना।

अध्याय 8 तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए वैमानिक राजस्व

प्राधिकरण ने अपने समक्ष उपलब्ध तात्विक सामग्री और इसके विश्लेषण के आधार पर तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए वैमानिक-राजस्व के संबंध में निम्नलिखित निर्णय लिए हैं :

- 8.6.1 तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए उर्पयुक्त तालिका 169 में निर्धारित किए अनुसार गैर-वैमानिक राजस्व को मानना।
- 8.6.2 स्थावर संपदा राजस्व को गैर-वैमानिक राजस्व मानना।
- 8.6.3 ब्याज की आय को गैर-वैमानिक राजस्व मानना।
- 8.6.4 अगली नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय वर्तमान नियंत्रण अवधि के गैर-वैमानिक राजस्व को टूअप करना।

अध्याय 9 तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए कराधान

प्राधिकरण ने अपने समक्ष उपलब्ध तात्विक सामग्री और इसके विश्लेषण के आधार पर तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए कराधान के संबंध में निम्नलिखित निर्णय लिए हैं :

- 9.6.1 तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए तालिका 172 में निर्धारित किए अनुसार कर बर्हिवाह आकलन को मानना।
- 9.6.2 वर्तमान नियंत्रण अवधि के अंत में वास्तविक कर बर्हिवाह के आधार पर वैमानिक कर आकलनों को टूअप करना

तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए कार्यशील पूंजी ब्याज

प्राधिकरण ने अपने समक्ष उपलब्ध तात्विक सामग्री और इसके विश्लेषण के आधार पर तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए कार्यशील पूंजी ब्याज के संबंध में निम्नलिखित निर्णय लिए हैं:

- 10.6.1 तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए तालिका 175 में दिए गए विवरण के अनुसार कार्यशील पूंजी ब्याज/शुल्क को मानना।
- 10.6.2 अगली नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ के परिकलन में नियंत्रण अवधि के अंत के वास्तविक आंकड़ों के आधार पर कार्यशील पूंजी ब्याज /शुल्क पूर्वानुमानों को टूअप करना ।

अध्याय 11 तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए मुद्रा-स्फीति

प्राधिकरण ने अपने समक्ष उपलब्ध तात्विक सामग्री और इसके विश्लेषण के आधार पर तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए मुद्रा-स्फीति के संबंध में निम्नलिखित निर्णय लिया है :

- 11.6.1 प्राधिकरण आरबीआई के वृहत आर्थिक संकेतकों के संबंध में व्यायसायिक पूर्वानुमानकर्ताओं के 69वें सर्वेक्षण में दिए गए वित्त वर्ष 2021-22 के औसत डब्ल्युपीआई मुद्रा-स्फीति पूर्वानुमान के आधार पर तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए 4.9% मुद्रा- स्फीति को मानने का निर्णय लेता है।

अध्याय 12 तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए सेवा की गुणवत्ता

प्राधिकरण ने अपने समक्ष उपलब्ध तात्विक सामग्री और इसके विश्लेषण के आधार पर तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए सेवा की गुणवत्ता के संबंध में निम्नलिखित निर्णय लिए हैं :

- 12.6.1 प्राधिकरण निर्णय लेता है कि बीआईएएल यह सुनिश्चित करेगा कि कैपेगोडा अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर सेवा की गुणवत्ता तृतीय नियंत्रण अवधि में रियायत करार में इंगित किए गए निष्पादन मानकों के अनुरूप है।
- 12.6.2 प्राधिकरण द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए बीआईएएल से कोई भी अर्थदंड/छूट वसूल न करने का निर्णय लेता है।

अध्याय 13 तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए कुल राजस्व अपेक्षा

प्राधिकरण ने अपने समक्ष उपलब्ध तात्विक सामग्री और इसके विश्लेषण के आधार पर तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए कुल राजस्व अपेक्षा (एआरआर) के संबंध में निम्नलिखित निर्णय लिए हैं :

- 13.6.1 उपर्युक्त तालिका 182 में दिए गए विवरण के अनुसार कुल राजस्व अपेक्षा (एआरआर) को बीआईएएल के लिए तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए उपयुक्त एआरआर के रूप में मानना
- 13.6.2 प्राधिकरण एयरलाइन भागीदारी कार्यक्रम के अतिरिक्त तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए परिवर्ती टैरिफ योजना (वीटीपी) को मानने का निर्णय लेता है, क्योंकि यह इकाओं के गैर-भेदभाव संबंधी मार्गदर्शन के खंड के अनुकूल नहीं है।
- 13.6.3 31 मार्च, 2022 की 940.63 करोड़ रूपए की कमी को अगली नियंत्रण अवधि में अग्रेजित करना।
- 13.6.4 प्राधिकरण बीआईएएल को निदेश देता है कि वह यह सुनिश्चित करे कि इकाओं के गैर-भेदभाव वाले सिद्धांतों का उल्लंघन न हो।
- 13.6.5 प्राधिकरण बीआईएएल को निदेश देता है कि वह सभी हितधारकों और ऐरा की जानकारी के लिए तृतीय नियंत्रण अवधि के दौरान दिए गए प्रोत्साहनों, प्राप्त राजस्व और वहन किए गए व्यय के लेखाओं का अलग रिकॉर्ड रखे ताकि अगली नियंत्रण अवधि के लिए वैमानिक टैरिफ का निर्धारण करने के लिए सुविचारित निर्णय लिया जा सके।

16 आदेश

- 16.1.1 ऐरा अधिनियम, 2008 की धारा 13 (1) (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और उपर्युक्त निर्णयों के आधार पर प्राधिकरण एतद्वारा आदेश के संलग्नक-I (1 क और 1 ख) में दर्शाए अनुसार तृतीय नियंत्रण अवधि (01 अप्रैल, 2021 से 31 मार्च, 2026 तक) के लिए कैपेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, बेंगलुरु में लगाई जाने वाली टैरिफ निर्धारित करता है।
- 16.1.2 वायुयान नियम, 1937 के नियम 89 के साथ पठित ऐरा अधिनियम, 2008 की धारा 13 (1) (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राधिकरण एतद्वारा वर्तमान नियंत्रण अवधि के लिए आदेश के संलग्नक 1 के दर कार्ड में इंगित किए अनुसार यूडीएफ की दर निर्धारित करता है।
- 16.1.3 यह टैरिफ आदेश 1 अक्टूबर, 2021 से प्रभावी होगा।

प्राधिकरण की ओर से जारीकर्ता

**(कर्नल मनु सूदन)
सचिव, ऐरा**

सेवामें,
श्री हरी के मरार
प्रबंधक निदेशक एवं सीईओ
बंगलौर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड
अल्फा-2, कैपेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा,
बंगलुरु – 560 300, भारत

प्रतिलिपि,

1. सचिव, नागर विमानन मंत्रालय,
राजीव गांधी भवन,
सफदरजंग हवाईअड्डा,
नई दिल्ली – 110 003

2. नागर विमानन महानिदेशालय, एआईसी जारी करने के लिए

